

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला-बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री यक्ष चौधरी (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 185/2024

क्रमांक/आवेदन/2025/ 4335

दिनांक : 25.3.25

प्रार्थीगण

कैलाशदान पुत्र हडुदान,

जाति चारण, निवासी रावत का गांव,

तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरह (6)

विप्रार्थीगण

बाबुसिंह पुत्र रिडमलसिंह,

वगैरा (13)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक शिव को प्रार्थीगण की मौजा रावत का गांव तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 93/5 रकबा 8.4174 हैक्टर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्ड्स रूल्स, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवाने हेतु 500/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। निरीक्षक भू-अभिलेख शिव बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला-बाड़मेर

दिनांक :- 25.3.25

क्रमांक :- आवेदन/2025/ 4336—40

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक शिव को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी हाथीसिंह का गांव को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक शिव द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी कैलाशदान पुत्र हडुदान वगैरा (06) को सूचनार्थ।
5. विप्रार्थीगण बाबुसिंह पुत्र रिडमलसिंह वगैरा (13) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला-बाड़मेर

